संख्या- 918/नौ-9-2012-103आरएफ/11

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक/एसएलएनए,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊः दिनांकः 22 अक्टूबर, 2012

विषयः- वित्तीय वर्ष 2012-13 में जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी/यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श के अन्तर्गत 'नया सवेरा नगर विकास योजना' से निकाय अंश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय आपके पत्र संख्या- पीएमयू/689/286(3)/2012.13, दिनांक 18.05.2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी एवं यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श के अन्तर्गत 17 परियोजनाओं हेतु संबंधित नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों को निकाय अंश की कुल धनराशि **₹ 15280.54 लाख (₹ एक अरब बावन करोड़ अस्सी लाख चौवन हजार मात्र)** की वित्तीय वर्ष 2012-13 में **नया सवेरा नगर विकास योजना** के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र.	निकाय का नाम	परियोजना का नाम	भा/स द्वारा अनुमोदित लागत	अवमुक्त केन्द्रांश, जिसके सापेक्ष निकाय अंश वांछित है	अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष स्वीकृत निकाय अंश की धनराशि
1	2	3	4	5	6
	नगर निगम				
1	आगरा	सीवरेज फेज-1 पार्ट-1	19592.00	2250.00	1469.40
2	इलाहाबाद	सीवरेज जोन-डी फेज-1	33826.00	4228.25	2536.94
3	कानपुर	जलापूर्ति -पुराने क्षेत्रों में	27094.89	3386.86	2032.11
4	कानपुर	जलापूर्ति पार्ट-।। शहर के अवशेष क्षेत्रों के लिये	37778.92	4722.37	2381.40
5	लखनऊ	सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। पार्ट-।।	21443.00	2680.38	1608.22
6	लखनऊ	स्टार्म वाटर ड्रेनेज	32521.00	4065.13	2439.03
7	मेरठ	जलापूर्ति	27301.00	3412.63	2047.58
8	वाराणसी	सालिड वेस्ट मैनेजमेंट	4867.73	608.47	365.08
	नगर निगम योग				**14879.76**
	नगर पालिका परिषद				
1	नानपारा	पेयजलापूर्ति	237.78	95.11	11.78
2	बस्ती	सड़क निर्माण	2376.94	950.78	118.84
3	बदायूँ	पेयजलापूर्ति	1118.73	446.52	55.81
4	बलरामपुर	पेयजलापूर्ति	616.29	246.52	30.82

क्र.	निकाय का नाम	परियोजना का नाम	भा/स द्वारा अनुमोदित लागत	अवमुक्त केन्द्रांश, जिसके सापेक्ष निकाय अंश वांछित है	अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष स्वीकृत निकाय अंश की धनराशि
1	2	3	4	5	6
5	पड़रौना	पेयजलापूर्ति	615.25	246.10	30.76
6	मऊ	पेयजलापूर्ति	555.93	222.37	27.79
7	देवरिया	पेयजलापूर्ति	1104.06	441.62	55.20
8	फतेहपुर	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	937.93	375.17	46.89
9	आजमगढ़	पेयजलापूर्ति	458.34	183.15	22.89
	नगर पालिका योग				**400.78**
	महायोग				**15280.54**

(रू0 एक अरब बावन करोड़ अस्सी लाख चौवन हजार मात्र)

1. उक्त धनराशि संबंधित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी, अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित निकाय की औपचारिक सहमति/अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
2. स्वीकृत धनराशि एकमुक्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पीएलए में नहीं रखी जायेगी।
3. आवंटित धनराशि आहरित कर यथाप्रक्रिया निहित प्रयोजन हेतु व्यय की जायेगी अर्थात जिन कार्यो के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा। किसी अन्य योजना/कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायेगा।
4. प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना के प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।
6. स्वीकृत किये जा रहे कार्यो को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था तथा जिलाधिकारी का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।
7. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
8. उपरोक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश जारी/निर्गत होने के पश्चात् तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पाक्षिक समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित करते हुए प्रगति विवरण प्रत्येक पक्ष में निदेशक, स्थानीय निकाय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक /मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।
11. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार उ.प्र., इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को **31 मार्च, 2013** तक उपलब्ध कराया जायेगा।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक अनुदान की संख्या-37 के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि में से **नगर निगम** के लिये स्वीकृत धनराशि **₹ 14879.76 लाख (₹ एक अरब अड़तालीस करोड़ उन्यासी लाख छियत्तर हजार मात्र)** का व्यय लेखाशीर्षक-"6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत-02-मलजल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-नया सवेरा नगर विकास योजना-30 -निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा तथा **नगर पालिका परिषद** के लिये स्वीकृत धनराशि **₹ 400.78 लाख (₹ चार करोड़ अठ्हत्तर हजार मात्र)** का व्यय लेखाशीर्षक-"6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत-02-मलजल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नया सवेरा नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई-8-1465-दस/12, दिनांक 03 अक्टूबर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्याः 918(1)/नौ-9-2012-103आरएफ/11, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
6. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

02/10/2012

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।